

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण(उत्तराखण्ड)
उद्यान भवन, चौबटिया--रानीखेत(अल्मोड़ा)

पत्रांक 504 / दो-34(3) / स्था0 / 2024-25

दिनांक: चौबटिया: जून 10 / 2024

: आदेश :

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017(संख्या-1 वर्ष 2018) के अनुपालन में अग्रिम कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश विषयक शासनादेश संख्या: 30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक: 06.02.2018 इस निमित्त तदसंबंधी शासनादेशों एवं शासनादेश संख्या: 198739/XXX (2)/E- 33080 दिनांक: 14.03.2024 के अनुपालन में सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण, दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों के प्रकरण में इस हेतु गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित कार्मिकों को कॉलम संख्या-04 में अंकित स्थान पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम / पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नव तैनाती स्थान जहाँ तैनात किया जाता है	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती यशोदा रावत सहायक मधु विकास निरीक्षक (वर्ग-3)	वरिष्ठ कीट विद् मौनपालन केन्द्र ज्योलीकोट (नैनीताल)	उपनिदेशक औद्यानिक प्रशिक्षण एवं परीक्षण केन्द्र चौबटिया(अल्मोड़ा)	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 7(क) के अनुसार)
2	श्री बलवीर सिंह चौहान सहायक मधु विकास निरीक्षक (वर्ग-3)	जिला उद्यान अधिकारी रुद्रप्रयाग	मुख्य उद्यान अधिकारी देहरादून	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा-10(क) के अनुसार)

अतः तदनुसार उक्त कार्मिक अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना तत्काल नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप संबंधितों के विरुद्ध अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पादित कर ली जायेगी।

निदेशक
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
उत्तराखण्ड।

पत्रांक 504 / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. संबंधित कार्मिक।
2. जिला/मुख्य उद्यान अधिकारी रुद्रप्रयाग/नैनीताल/देहरादून।
3. वरिष्ठ कीट विद् मौन पालन केन्द्र ज्योलीकोट (नैनीताल)।
4. उपनिदेशक औद्यानिक प्रशिक्षण एवं परीक्षण केन्द्र चौबटिया।
5. कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, रानीखेत/रुद्रप्रयाग/देहरादून/नैनीताल।
6. आहरण वितरण अधिकारी मुख्यालय।
7. संयुक्त निदेशक, उद्यान कुमांऊ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
8. व्यक्तिगत पत्रावली।
9. गार्ड फाइल।

निदेशक
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
उत्तराखण्ड।

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण(उत्तराखण्ड)

उद्यान भवन,चौबटिया-रानीखेत(अल्मोड़ा)

पत्रांक 503 / दो-34(3) / स्था0 / 2024-25

दिनांक:चौबटिया: जून 10 / 2024

: आदेश :

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017(संख्या-1 वर्ष 2018) के अनुपालन में अग्रिम कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश विषयक शासनादेश संख्या: 30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक: 06.02.2018 इस निमित्त तदसंबंधी शासनादेशों एवं शासनादेश संख्या: 198739/XXX (2)/E- 33080 दिनांक: 14.03.2024 के अनुपालन में सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण, दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों के प्रकरण में इस हेतु गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित कार्मिकों को कॉलम संख्या-04 में अंकित स्थान पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम /पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नव तैनाती स्थान जहाँ तैनात किया जाता है	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री विरेन्द्र सिंह रावत सहायक मशरूम विकास अधिकारी (वर्ग-2)	मुख्य मशरूम विकास अधिकारी देहरादून	उपनिदेशक औद्यानिक प्रशिक्षण एवं परीक्षण केन्द्र चौबटिया(अल्मोड़ा)	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 7(क) के अनुसार)
2	श्री वासपानन्द कोठियाल सहायक मशरूम विकास अधिकारी (वर्ग-2)	मुख्य मशरूम विकास अधिकारी देहरादून	उपनिदेशक औद्यानिक प्रशिक्षण एवं परीक्षण केन्द्र चौबटिया(अल्मोड़ा)	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 7(क) के अनुसार)

अतः तदनुसार उक्त कार्मिक अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना तत्काल नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप संबंधितों के विरुद्ध अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पादित कर ली जायेगी।


निदेशक

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
उत्तराखण्ड।

पत्रांक 503 / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. संबंधित कार्मिक।
2. मुख्य उद्यान अधिकारी देहरादून/अल्मोड़ा।
3. मुख्य मशरूम विकास अधिकारी देहरादून।
4. उपनिदेशक औद्यानिक प्रशिक्षण एवं परीक्षण केन्द्र चौबटिया।
5. कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, रानीखेत/देहरादून।
6. आहरण वितरण अधिकारी मुख्यालय।
7. संयुक्त निदेशक, उद्यान कुमाऊँ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
8. व्यक्तिगत पत्रावली।
9. गार्ड फाइल।


निदेशक

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
उत्तराखण्ड।

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण(उत्तराखण्ड)

उद्यान भवन,चौबटिया-रानीखेत(अल्मोड़ा)

पत्रांक 502/दो-34(3)/स्था0/2024-25


दिनांक:चौबटिया: जून 10 /2024

: आदेश :

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017(संख्या-1 वर्ष 2018) के अनुपालन में अग्रिम कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश विषयक शासनादेश संख्या: 30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक: 06.02.2018 इस निमित्त तद्संबंधी शासनादेशों एवं शासनादेश संख्या: 198739/XXX (2)/E- 33080 दिनांक: 14.03.2024 के अनुपालन में सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण, दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों के प्रकरण में इस हेतु गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित कार्मिकों को कॉलम संख्या-04 में अंकित स्थान पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम /पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नव तैनाती स्थान जहाँ तैनात किया जाता है	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री पुरुषोत्तम बडोनी अपर प्रशिक्षण अधिकारी (वर्ग-1)	उपनिदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण एवं परीक्षण केन्द्र श्रीनगर(पौड़ी)	उपनिदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण एवं परीक्षण केन्द्र चौबटिया(अल्मोड़ा)	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 7(क) के अनुसार)


अतः तदनुसार उक्त कार्मिक अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना तत्काल नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप संबंधितों के विरुद्ध अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पादित कर ली जायेगी।


निदेशक
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
उत्तराखण्ड।

पत्रांक 502 /उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. संबंधित कार्मिक।
2. उपनिदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण एवं परीक्षण केन्द्र चौबटिया/श्रीनगर।
3. जिला उद्यान अधिकारी, पौड़ी।
4. कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, रानीखेत/पौड़ी।
5. आहरण वितरण अधिकारी मुख्यालय।
6. संयुक्त निदेशक, उद्यान कुमाऊ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
7. व्यक्तिगत पत्रावली।
8. गार्ड फाइल।


निदेशक
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
उत्तराखण्ड।